न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00196

हिन्दू समाज कैथून नगर जरिये कैथून नगरवासी :–

1. रामचन्द्र दोसाया आत्मज श्री चतुर्भुज उम्र 72 वर्ष जाति छीपा निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. विद्याशंकर आत्मज श्री कृष्णचन्द्र नन्दवाना उम्र 61 वर्ष निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. लक्ष्मीचन्द आत्मज श्री कजोड लाल माली आयु 82 वर्ष जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कन्हैया लाल आत्मज श्री गोपाल जी माली जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री मदनलाल माली आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नरेश कुमार गुप्ता आत्मज श्री प्रेमचन्द गुप्ता महाजन निवासी विजय मार्केट, घंटाघर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री रामचन्द्र जी धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र लाल जी श्रृंगी जरिये मुख्तारआम महेश कुमार गुप्ता आत्मज श्री प्रेमचन्द जी गुप्ता निवासी मंगल भवन विजय मार्केट, घंटाघर, कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92, 90 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में साबिक खसरा नम्बर 655/68 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित थी । उक्त भूमि वादिनी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि थी । उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 277 रबा 0.87 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि वादिनी द्वारा पूर्व में दिनांक 30.11.1967 जरिये नीलामी में ली गई थी तब से ही उक्त भूमि पर वादिनी काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादिनी ने नीलामी की समस्त शर्तों की पालना कर दी थी उसके उपरान्त भी उक्त भूमि वादिनी के गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसे कानूनन वादिनी अपने खातेदारी में दर्ज कराने की अधिकारी है । उक्त भूमि पर वादिनी को विधिवत रूप से दिनांक 21.09.1968 को दखल दिया गया । दिनांक 16.06.1984 को विधिवत रूप से उक्त भूमि पर वादिनी को खातेदार घोषित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे जिससे वादिनी उक्त भूमि पर सन् 1984 से ही गैरखातेदारी के स्थान पर उक्त आराजी में उसका नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करवाने की अधिकारिणी हो गयी थी। मात्र राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आदेश बाबत् खातेदारी दर्ज किये जाने का इन्द्राज नहीं होने से उक्त भूमि गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि में से कुछ भूमि पर गैर मुमकिन शमशान सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत इन्द्राज कर दिया है । सेटलमेंट विभाग ने विमला देवी पुत्री रामचन्द्र के स्थान पर विमलादेवी जोजे रामचन्द्र अंकित कर दिया है जो गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के कब्जे की भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से वादिनी की खातेदारी की भूमि में से शमशान के अंकन को निरस्त कर उक्त भूमि वादिनी के खाते में दर्ज की जावे तथा वादिनी के नाम पत्नी रामचन्द्र के स्थान पर पुत्री रामचन्द्र अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के खाते की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2012 के द्वारा वाद वादिनी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी की किस्म शमशान होने तथा खसरा गिरदावरी व तहसील रिपोर्ट में जानकारी होने पर कि भूमि शमशान की है पर भी बिना जनरल सूचना पत्र जारी कर तथा नगरपालिका व ग्राम पंचायत को बिना सूचित किये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 16 (6) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत खातेदारी देने में त्रुटि की है जबकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने शमशान की भूमि को नीलामी योग्य मानने में त्रुटि की है । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान करने का अधिकार नहीं है । उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की

भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय से हिन्दू समाज कैथून नगर, प्रभावी पक्षकार है तथा धारा 96 (3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 (3) सीपीसी का पेश कर कथन किया कि हिन्दू समाज कैथून नगर द्वारा कैथून नगर की हिन्दू जनता के लिए प्रारम्भ से कायम शमशान की व्यवस्था की जा रही है । इस शमशान की भूमि में विधायक कोष से पक्की बाउण्ड्री बनायी गई तथा राज्य सरकार की जन सहभागीदारी योजना के अन्तर्गत समाज द्वारा राशि जमा कर करीब 25 लाख का निर्माण कार्य कराया गया तथा पूरी भूमि शमशान के काम आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में शमशान की भूमि पर बिना सूचना दिये रेस्पोडेन्ट को खातेदारी दे दी तथा भूमि गॉव के पास होने से प्लॉट काटकर बेचाने के प्रायस में है । अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं । अतः अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सम्बन्ध में बिना शमशान के उपयोगकर्ताओं को बिना सूचित किये निर्णय किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.05.2019 को रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा कब्जा करने का प्रयास करने पर नकल लेने पर दिनांक 14.05.2019 को जानकारी हुई । जानकारी प्राप्त होते ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी शमशान की भूमि है जिसे कैथून के नागरिक शमशान के रूप में उपयोग कर रहे हैं । विधायक कोष एवं सद्भावी योजना के अन्तर्गत जमा राशि से बाउण्ड्री एवं छाया हेतु पक्का भवन बना हुआ है । शमशान की खाली भूमि का उपयोग हिन्दू समाज के द्वारा शमशान के रख–रखान के लिए किया जाता है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । शमशान की भूमि को बिना नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत को सूचित किये अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज किया है । धारा 16 (6) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत खातेदारी दी गई है । शमशान की भूमि नीलामी योग्य नहीं होती है । गैर खातेदारी से खातेदारी देने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है । नीलामी की शर्तों की पालना नहीं होने के बाबजूद खातेदारी प्रदान की गई है । भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की है और हिन्दू समाज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित है । इस कारण यह अपील पेश की जा रही है । अपीलान्टगण ने खसरा गिरदावरी की नकल पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय को शमशान भूमि की किस्म का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर न तो कब्जा है

और न ही उनके द्वारा बेदखली की सहायता मांगी गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 निरस्त फरमाया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2016 (2) पेज 781, आरआरटी 2019 (1) पेज 501 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 02 विमला देवी ने जरिये मुख्तार एक दावा सरकार के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी जिसके साबिक खसरा नम्बर 655/68 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा थे, वादिनी को दिनांक 30.11.1967 को अतिरिक्त कलक्टर, उपनिवेशन के द्वारा नीलामी में दी गई थी जिस पर वादिनी का कब्जा है । वादिनी ने नीलामी की समस्त शर्तो की पालना की है । इस कारण गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी है । वादिनी को दिनांक 16.06.84 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गये थे परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में इसका इन्द्राज नहीं हाने से आराजी गैर खातेदारी में चली आ रही है। उक्त आराजी का नया खसरा नम्बर 277 रकबा 0.87 हैक्टर बना है । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से इसको गैर मुमकिन शमशान में दर्ज किया है । अतः वादिनी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.11.2012 के अनुसार साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रदर्श– पी–1ए दिनांक 30.111967 एडीएम उपनिवेशन की आदेशिका की फोटो प्रति संलग्न है । प्रदर्श– पी–2ए दखलनामा की फोटो प्रति, प्रदर्श– पी–3ए राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त 09 के अधीन प्रदत्त खातेदारी अधिकार की फोटो प्रति, प्रदर्श– पी–4ए मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग की फोटो प्रति, प्रदर्श– पी–5 ए, पी–6ए, पी –7ए नक्शा ट्रेस की फोटो प्रतियॉ, प्रदर्श– पी–8 ए चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा बिक्री नियम (9) के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र किश्त की फोटो प्रति, प्रदर्श– पी–9ए चालान की फोटो प्रति, प्रदर्श–पी–10ए रसीद की फोटो प्रति, प्रदर्श–पी–11 ए नोटिस की फोटो प्रति, प्रदर्श– पी–12 ए एवं 13ए रसीद की फोटो प्रतियॉ, प्रदर्श– पी–14 नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35 की फोटो प्रति, प्रदर्श– पी–15ए नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श – पी–16 ए, नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श– पी–17ए संलग्न हैं ।

13. बयानों के रूप में महेश कुमार, हेमराज के बयान कराये गये हैं जिस पर पीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ प्रदर्शित की गई हैं कोई भी दस्तावेज असल अथवा प्रमाणित प्रति नहीं है । नियमानुसार असल एवं प्रमाणित प्रतियों को ही

प्रदर्शित किया जा सकता है । फोटो प्रतियों को प्रदर्शित किया जाना विधिक प्रावधानों के विपरीत है । प्रकरण में सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा साक्ष्य पेश की गई है जबकि प्रकरण सरकारी शमशान की भूमि से सम्बन्धित होने के कारण सार्वजनिक व राज्यहित निहित था । दिनांक 07.12.2012 की आदेशिका के अनुसार वकील सरकार उपस्थित हुए हैं व बहस की है । राज्यहित निहित होने से पैरोकार सरकार को इसमें जवाब एवं साक्ष्य पेश करना चाहिए था जो नहीं किया जाना इनके स्तर पर लापरवाही को दर्शाता है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तहसील के स्तर से रिर्पोटें पेश की गई हैं परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया है ।

15. वादग्रस्त आराजी पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार विमला देवी के गैर खातेदारी में दर्ज है और इसकी किस्म गैर मुमकिन शमशान दर्ज है । भूमि की किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार परीक्षण न्यायालय को नहीं है साथ ही गैर खातेदारी से खातेदारी भी सहायक कलक्टर के द्वारा धारा 88 के दावे के तहत नहीं दी जा सकती वरन् इस हेतु गैर खातेदार को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है और आवंटन अधिकारी ही आवंटन की शर्तो की पालना की स्थिति में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं । इस दृष्टि से ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । चूँकि प्रकरण में आराजी गैर मुमकिन शमशान की है इस कारण अपीलान्ट भी इसमें हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्हें भी सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है और आराजी की किस्म गैर मुमकिन शमशान होने की स्थिति में हम इस प्रकरण में भूमिधारक तहसीलदार से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं । दस्तावेजात की जो फोटो प्रतियॉ प्रदर्शित की गई हैं वो विधि–विरूद्ध है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा – निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार एवं अपीलान्टगण से जवाबदावा प्राप्त कर पैरा संख्या 14 में किये गये विवेचन के मध्यनजर तनकीयात कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, कोटा व तहसीलदार, लाडपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

17. निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा